

Final NOC,

Print

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/220682/HRP/HAMIRPUR/611/CFO

दिनांक : 01-10-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **AMBM JR HIGH SCHOOL MEHERPURI HAMIRPUR** पता **MEHERPURI HAMIRPUR, JAIL ROAD, HAMIRPUR** तहसील - **HAMIRPUR** प्लॉट एरिया **4393.12 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **3540** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
AMBM JR HIGH SCHOOL MEHERPURI	3	0	10.5 mt.

है। भवन का अधिभोग-मेसर्स **AMBM JR HIGH SCHOOL MEHERPURI HAMIRPUR** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **03-10-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **MEHER PRAKASH E-Mail ID : KHAREAMBM6262@GMAIL.COM Mobile No. : 9129085865** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्रुत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **03-10-2026** से **02-10-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **AMBM JR HIGH SCHOOL MEHERPURI HAMIRPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयवधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **AMBM JR HIGH SCHOOL MEHERPURI HAMIRPUR** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : निरीक्षण के दौरान भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाये कार्यशील दशा में पायी गयी। UPF&ES ACT-2022, Rules-2024, NBC-2016 के अनुसार, भवन स्वामी अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र प्रेषित करेगे, फायर उपकरणों की वार्षिक ए.एम.सी./मरम्मत अर्ह एजेन्सी से करायी जायेगी, विद्युत सुरक्षा विभाग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यदि सत्ता प्राधिकारी की शर्तों का उल्लंघन होता है या अग्निशमन व्यवस्था अकार्यशील दशा में पायी जाती है तो एन.ओ.सी. स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"



निर्गत किये जाने का दिनांक : 03-10-2026

स्थान : HAMIRPUR

मुख्य अग्निशमन अधिकारी

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

REHAN ALI

082C5DBC41B974F2BE22A147E3AF9E520A541352

03-10-2026